(55)

R 2418-III/06

{कलार}
1- जगदीश प्रसाद जैसवाल तनय रामावतार जैसवाल, निवासी ग्राम कोनी, ------ अपीलांट
तहसील देवसर, जिला - सीधी म0प्र0

{कलार}

बनाम

1- शत्रुघ्न प्रसाद तनय सिद्धनाथ कलार निवासीग्राम कोनी, तहसील देवसर जिला -सीधी म0प्र0।

2- कृष्ण प्रसाद तनय रामावतार आयु 65 साल, पेशा खेती निवासीग्राम कोनी, तह0 देवसर, जिला सीधी म0प्र0। ----- गैर निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के अपील प्र0क्र0202/अ0/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26-4-06,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

Presented by ... Advocate ... नीलम शील पाण्डेय 20/12/2006

Supdt. 20/12/06
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

उत्तर दे 20/12/06

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

1- यह कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/81-82 शत्रुघ्न विरुद्ध रामावतार के प्रकरण के आदेश दिनांक 28-1-87 के विरुद्ध निगराकार के पितास्व0 रामावतार द्वारा अपील माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था इस जो माननीय अपर आयुक्त का अपील प्रकरण क्रमांक 202/अपील/ 86-87 रामावतार विरुद्ध शत्रुघ्न के नाम विचाराधीन था।

2- यह कि निगराकार के पिता द्वारा अपनीओर से पैरवी के लिये अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी को अधिकृत कियाथा और बीच - बीच की पेशियों पर निगराकार के पिताअधिवक्ता से मिलते रहे किन्तु कई वर्षों तक प्रकरण चलने के बाद भी प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाने के पूर्व ही निगराकार के पिता स्व0

:2:

जगदीश प्रसाद

... नियुक्त करता है कारण

कोईपक्षकार विधि का ज्ञाता सर्वज्ञातानहीहोता किन्तु अधिवक्ता द्वारा :3:

जगदीश प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक –निग0 2418/तीन/2006 जगदीश/शत्रुघन जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों के हस्ताक्षर
30–5–2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 12.04.2007 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	